

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

मालीराम बनाम भूमिधारी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मु0नं0 229 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/473


तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जाज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

18-06-2025

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद भाटिया उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 27.06.2025 को पेश हो।


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

22/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में बस्थ हैं
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/9/25
को पेश हो।

09/09/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 01.05.2025 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थी अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान दिनांकित 01.05.2025 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थी सीमाज्ञान दिनांकित 01.05.2025 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :-

आदेश

तहसीलदार पाटन तन ग्राम भगेश्वर पटवार हल्का डोकन तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 145, 721, 722, 723, 724/1 में प्रार्थी, सहखातेदारान तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 01.05.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 09.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना (सीकर)